

पटना में दिनांक-16 मई, 2017 मंगलवार को अपराह्न 05:00 बजे से हुई मंत्रिपरिषद् की बैठक की कार्यवाही। मुख्यमंत्री ने बैठक की अध्यक्षता की।

निम्नलिखित निर्णय लिये गये :-

गृह विभाग
(आरक्षी शाखा)

- | | | | |
|----|---|----|----------|
| 1. | सी०डब्लू०जे०सी० सं०-12947/2016 ढालेश्वर पासवान बनाम बिहार राज्य एवं अन्य में दिनांक-17.09.2016 को पारित माननीय उच्च न्यायालय, पटना के न्यायादेश के आलोक में श्री ढालेश्वर पासवान के पेंशन निर्धारण हेतु दस वर्ष की न्यूनतम सेवावधि में चार माह की अवधि को क्षांत करने के प्रस्ताव पर स्वीकृति के संबंध में। | 1. | स्वीकृत। |
|----|---|----|----------|

गृह विभाग
(आरक्षी शाखा)

- | | | | |
|----|--|----|----------|
| 2. | एल०पी०ए० सं०-544/2012 परमेश्वर पासवान बनाम बिहार राज्य एवं अन्य में माननीय न्यायालय के आदेश के आलोक में श्री परमेश्वर पासवान के पेंशन निर्धारण हेतु दस वर्ष की न्यूनतम सेवावधि में सात माह की अवधि को क्षांत करने के प्रस्ताव पर घटनोत्तर स्वीकृति के संबंध में। | 2. | स्वीकृत। |
|----|--|----|----------|

गृह विभाग
(आरक्षी शाखा)

- | | | | |
|----|--|----|----------|
| 3. | बिहार पुलिस के अन्तर्गत अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति के निमित्त अनुकम्पा समितियों का गठन करने एवं सिपाही (ग्रेड पे-2000) तथा समूह 'ग' एवं 'घ' के अन्य पदों पर अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति हेतु बिहार पुलिस हस्तक, 1978 में संशोधन के संबंध में। | 3. | स्वीकृत। |
|----|--|----|----------|

गृह विभाग
(आरक्षी शाखा)

- | | | | |
|----|--|----|----------|
| 4. | निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, बिहार, पटना में कार्यरत सिपाही से लेकर पुलिस निरीक्षक तक के कर्मियों की अन्य ईकाईयों की भाँति अवकाश के दिनों में भी काम करने के एवज में वर्ष में एक माह के वेतन के बराबर मानदेय भुगतान की स्वीकृति के संबंध में। | 4. | स्वीकृत। |
|----|--|----|----------|

नगर विकास एवं आवास विभाग

- | | | | |
|----|---|----|----------|
| 6. | "आरा आयोजना क्षेत्र" की घोषणा की स्वीकृति के संबंध में। | 6. | स्वीकृत। |
|----|---|----|----------|

नगर विकास एवं आवास विभाग

- | | | | |
|----|---|----|----------|
| 7. | "गया आयोजना क्षेत्र" की घोषणा की स्वीकृति के संबंध में। | 7. | स्वीकृत। |
|----|---|----|----------|

नगर विकास एवं आवास विभाग

- | | | | |
|----|--|----|----------|
| 8. | "मुजफ्फरपुर आयोजना क्षेत्र" की घोषणा की स्वीकृति के संबंध में। | 8. | स्वीकृत। |
|----|--|----|----------|

नगर विकास एवं आवास विभाग

9. "सहरसा आयोजना क्षेत्र" की घोषणा की स्वीकृति के संबंध में। 9. स्वीकृत।

नगर विकास एवं आवास विभाग

10. "बिहार शरीफ आयोजना क्षेत्र" की घोषणा की स्वीकृति के संबंध में। 10. स्वीकृत।

वित्त विभाग

12. राज्य वेतन आयोग की अनुशंसा के आलोक में राज्य कर्मियों को पुनरीक्षित वेतन की स्वीकृति के संबंध में। 12. स्वीकृत।

नगर विकास एवं आवास विभाग

13. "किफायती आवास और मलिन बस्ती (स्लम) पुनर्वास एवं पुनर्विकास आवास नीति 2017" की स्वीकृति। 13. स्वीकृत।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

14. पटना जिलान्तर्गत पालीगंज अनुमण्डल में उपकारा के निर्माण हेतु अंचल-पालीगंज के मौजा-रामपुर नगवाँ, थाना नं०-352, खाता सं०-438, खेसरा सं०-208, रकबा-10.00 एकड़ गैर मजरूआ मालिक भूमि कारा एवं सुधार सेवाएँ, गृह विभाग, बिहार, पटना को अन्तर्विभागीय निःशुल्क हस्तान्तरण के संबंध में। 14. स्वीकृत।

वित्त विभाग

15. बिहार वित्त नियमावली, 1950 में संशोधन के संबंध में। 15. स्वीकृत।

शिक्षा विभाग

16. बिहार राज्य के मधुबनी जिलान्तर्गत सिजौल में निजी क्षेत्र में संदीप विश्वविद्यालय की स्थापना एवं संचालन की अनुमति प्रदान करने के संबंध में। 16. स्वीकृत।

शिक्षा विभाग

17. बिहार राज्य के नालन्दा जिलान्तर्गत बिहारशरीफ में निजी क्षेत्र में के०के० विश्वविद्यालय की स्थापना एवं संचालन की अनुमति प्रदान करने के संबंध में। 17. स्वीकृत।

शिक्षा विभाग

18. पंचायती राज संस्थान एवं नगर निकाय संस्थान अन्तर्गत नियोजित शिक्षकों एवं पुस्तकालयाध्यक्षों को पुनरीक्षित वेतन देने के संबंध में। 18. स्वीकृत।

कला, संस्कृति एवं युवा विभाग

19. अंतर्राष्ट्रीय मानक के बिहार संग्रहालय (Bihar Museum), पटना परियोजना के विभिन्न अवयवों पर होने वाले कुल ₹ 517.34 करोड़ (पाँच सौ सतरह करोड़ चौतीस लाख रूपये) मात्र के पुनरीक्षित व्यय की स्वीकृति। 19. स्वीकृत।

उद्योग विभाग

20. निवेश आयुक्त, मुम्बई कार्यालय की स्थापना हेतु दो नियमित पदों का सृजन, तीन प्रोफेशनल कर्मी एवं 2 सहयोगी कर्मी (कार्य आधारित सेवा पर) की स्वीकृति तथा इस कार्यालय के स्थापना व्यय के लिए वित्तीय वर्ष 2017-18 में ₹ 1,81,93,600.00 (एक करोड़ एकासी लाख तिरानवे हजार छः सौ रूपये) मात्र अनुमानित वार्षिक व्यय पर योजना की स्वीकृति एवं बिहार आकस्मिकता निधि से अग्रिम/अनुपूरक आगणन के माध्यम से राशि की स्वीकृति। 20. स्वीकृत।